'दिव्यांग रिहैबिलिटेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी' सूरतगढ़ .... समित/सोसाईटी/संस्थान/संस्था

~~राजस्थान~~

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम 'दिव्यांग रिहैबिलिटेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी' ~~राजस्थान~~ सूरतगढ़ समिति/सोसाईटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय वार्ड नं. 6 नया, बाबारामदेव मन्दिर रोड, सूरतगढ़ .... कार्यक्षेत्र राजस्थान .... है।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :–

1 शिक्षा और विशेष शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने हेतु विद्यालय, विशेष विद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास एवं महाविद्यालय की स्थापना करना।

2 विशेष बालक-बालिकाओं एवं दिव्यांग व्यक्तियों की उन्नति के लिए विभिन्न कल्याणकारी पाठ्यक्रम चलाने का आयोजन करना।

3 सामान्य एवं विशेष बालकों को आत्म निर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

4 शिक्षा और विशेष शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर अन्य विद्वानों से अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना।

5 देश के सुकुमार बालक-बालिकाओं के शारीरिक एवं नैतिक स्तर को उच्च करना।

6 कला, संगीत, फाइनआर्ट, कम्प्यूटर, शिल्प, पेंटिंग, नृत्य, योग, शारीरिक शिक्षा, स्पेशल ओलम्पिक खेल आदि का शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

7 विकलांगता के क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम, गोष्ठी, व्याख्यान, परिचर्चा, प्रदर्शनी, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा साक्षरता एवं सामाजिक गतिविधियों का प्रबंध करना।

8 अनाथ, निस्सहाय तथा विशेष आवश्यकताओं वाले दिव्यांग व्यक्तियों हेतु आश्रयस्थल, छात्रावास तथा पुनर्वास गृहों की स्थापना करना।

9 विभिन्न प्रकार के बाल कल्याण कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों का इंतजाम करना और संचालन करना।

10 ....

11 ....

12 ....

13 ....

14 ....

15 ....

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष
(Dr. Mahendra Kumar)

मंत्री/सचिव

कोषाध्यक्ष

4. संस्था का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौपा गया है, जिसके प्रथम पदाधिकारी निम्न लिखित है –

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	डॉ. महेन्द्र कुमार S/o श्री ओम प्रकाश	अध्यापन विशेष शिक्षा	म.नं. 17/6 'सतगुरु कृपा' मीरानगर आखलिया चौराहा, जोधपुर (राज.)	अध्यक्ष
2.	श्रीमति सीमा मारवाल W/o श्री मामराज मारवाल	अध्यापिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता	वार्ड न.04 टावर के पास पुरानी आबादी, श्री गंगानगर	उपाध्यक्ष
3.	श्री त्रिलोक चन्द गर्ग S/o स्व. श्री उजागर सिंह	सेवानिवृत पटवारी	वार्ड नं. 6 नया बाबा रामदेव मन्दिर रोड सूरतगढ़, SGNR	सचिव
4.	श्री प्रदीप चौधरी S/o श्री ओम प्रकाश चौधरी	सिविल इंजिनियर	म.नं. 23 मीरानगर आखलिया सर्किल, जोधपुर	उपसचिव
5.	श्री ओमप्रकाश महलेदिया S/o स्व. श्री गोपीचन्द	सेवानिवृत वरिष्ठ प्रारूपकार	म.नं. 131 वार्ड न. 9, गली नं. 3, माइक्रोवेव टावर के पास पुरानी आबादी, SGNR	कोषाध्यक्ष
6.	श्री विजय कुमार चौधरी S/o श्री हीरालाल	सॉफ्टवेयर इंजिनियर	H.No. 147-A महादेवनगर, सिरसी रोड़ मीनावाला, जयपुर	सदस्य
7.	श्री देवी लाल S/o श्री कांतिलाल	अध्यापन	वार्ड न. 04, रतासर सूरतगढ़, SGNR	सदस्य
8.	श्री सुशील कुमार S/o श्री त्रिलोक चन्द	सामाजिक कार्यकर्ता	वार्ड नं. 4, बाबा रामदेव मन्दिर रोड सूरतगढ़, SGNR	सदस्य
9.	श्री मांगीलाल S/o कालुराम	अध्यापन विशेष शिक्षा	वार्ड न. 05 सूरतगढ़, SGNR	सदस्य
10.	श्री बन्टी सिंह S/o श्री विजय सिंह	अध्यापन विशेष शिक्षा	म.न. 157 वार्ड न. 10 नया आदर्श कॉलोनी सूरतगढ़, SGNR	सदस्य
11	श्रीमति तारा देवी W/o श्री [illegible] कुमार	परामर्शदाता	Q. No 10 राजकीय चिकित्सालय सूरतगढ़	सदस्य
12.				
13.				
14.				
15.				

अध्यक्ष

मंत्री/सचिव

कोषाध्यक्ष

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है, इस संघ के विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है :–

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्री त्रिलोक चन्द शर्मा S/o स्व. श्री उजागर सिंह	सेवानिवृत पटवारी	वार्ड नं. 6 नया, बाबा रामदेव मन्दिर रोड सूरतगढ़ SGNR	[signature]
2.	श्री ओम प्रकाश मलेठिया S/o स्व. श्री गोपीचन्द	सेवानिवृत वरिष्ठ प्राध्यापक	म.नं. 131, वार्ड नं. 9 गली नं. 3, हाउसिंग बोर्ड टावर के पास, पुरानी आबादी, SGNR	[signature]
3.	डॉ. रविकान्त गुंठे S/o स्व. श्री वसन्त गुंठे	अध्यापन	H.No. A-111 शास्त्रीनगर जोधपुर (राज.)	[signature]
4.	डॉ. महेन्द्र कुमार S/o श्री ओम प्रकाश	अध्यापन विशेष शिक्षा	म.नं. 17/6 'स्वरूप कृपा' महेशनगर [illegible] चौराहा, जोधपुर	[signature]
5.	श्रीमति सीमा मारवाल W/o श्री मामराज मारवाल	अध्यापन सामाजिक कार्यकर्ता	वार्ड नं. 4, टावर के पास पुरानी आबादी श्री गंगानगर	Seema
6.	सुश्री जगदीश कुंवर D/o श्री गोपाल सिंह	अध्यापन	H.No. 38, रावला मालारी, तह. बाली जिला - पाली (राज.)	JKanwar
7.	श्री देवीलाल S/o श्री बंशीलाल	अध्यापन	वार्ड नं. 4, रतासर सूरतगढ़, SGNR	देवीलाल
8.	श्री मांगीलाल S/o श्री कालूराम	अध्यापन विशेष शिक्षक	वार्ड नं. 5 सूरतगढ़, SGNR	मांगीलाल
9.	श्री बन्टी सिंह S/o श्री विजय सिंह	अध्यापन विशेष शिक्षक	म.नं. 157 वार्ड नं. 10 नया आदर्श कॉलोनी सूरतगढ़, SGNR	Banty Singh
10.	श्री विजय कुमार चौधरी S/o श्री हीरालाल चौधरी	सॉफ्टवेयर इंजीनियर	H.No. 147 A, महादेव नगर, सिरसी रोड मीनावाला, जयपुर (राज.)	Vijay
11.	श्री सुखदेव S/o श्री बिहारीलाल	इलेक्ट्रीशियन	स्ट्रीट नं. 8, रामपुरा बस्ती देव जनरल स्टोर के पास, लालगढ़, बीकानेर	[signature]
12.	श्रीमति किरण भाटीवाल W/o श्री सतीश कुमार	समाजसेविका	गली नं. 9 आजादनगर देव जनरल स्टोर, रामपुरा बस्ती, लालगढ़, बीकानेर	किरण
13.	श्रीमति उर्मिला चौधरी W/o श्री बनवारीलाल	अध्यापन विशेष शिक्षा	श्योसिंहपुरा शाहपुरा जगतपुरा, जयपुर (राज.)	Urmila
14.	श्री आनंद सिंह बराच S/o श्री शिवपाल सिंह बराच	अध्यापन विशेष शिक्षा	वार्ड नं. 16, बनियाला साहवा, चुरु (राज.)	[signature]
15.	श्री बृजलाल कटारीया S/o श्री सहीराम	सेवानिवृत पटवारी	म.नं. 1/18 वार्ड नं. 7 पुराना, हाउसिंग बोर्ड, सूरतगढ़, SGNR	[signature]
16.	श्री वीरपाल सिंह S/o श्री माधोसिंह	अध्यापन	वार्ड नं. 6, नया, बाबा रामदेव मन्दिर रोड सूरतगढ़, SGNR	veerpalsingh
17.	श्री प्रदीप चौधरी S/o श्री ओमप्रकाश चौधरी	सिविल इंजिनियर	म.नं. 23 मीरानगर शालामड सर्किल जोधपुर (राज.)	[signature]
18.	डॉ. (श्रीमति) चन्द्रकला गोस्वामी W/o श्री पंकज गोस्वामी	अध्यापन विशेष शिक्षा	म.नं. 124, आशापूर्णा नगर, DPS स्कूल के पास पाल रोड, जोधपुर	CKgoswami

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
19.	श्री देवेन्द्र कुमार S/O श्री रामकृष्ण माहर	अध्यापन	P.NO. 29 वार्ड नं. 43 Sec. No. 06 संस्कृत स्कूल के पास, हनुमानगढ़	देवेन्द्र
20.	श्री महेश डागला S/O श्री हनुमान प्रसाद डागला	व्यवसाय	P.No. C157, Sec. No. 6 तालघर रोड, हनुमानगढ़ जं. (राज)	महेश
21.	डॉ. श्री दुर्गाशंकर मेघवाल S/O श्री कैशुलाल मेघवाल	अध्यापन	Vill. सुकरोदा Teh. गिर्वा उदयपुर (राज.)	DSmeghwal
22.	श्री कमल सिंह राव S/O श्री नाहर सिंह राव	परामर्शदाता	Vill.- रावमदरा via - नाईशामा Teh. & Dist. उदयपुर (राज)	कमलसिंह
23.	श्रीमती तारादेवी W/O श्री सुरेन्द्र कुमार	परामर्शदाता	Q. NO. 10 राजकीय चिकित्सालय सूरतगढ़ (SGNR)	तारादेवी
24.	श्री विकास कुमार S/O श्री सुल्तान राम	अध्यापन	23,24 SD, रघुनाथपुरा सूरतगढ़, SGNR	Vikas
25.	श्री सुशील कुमार S/O श्री त्रिलोक चन्द	सामाजिक कार्यकर्ता	वार्ड नं. 4 बाबा रामदेव मन्दिर रोड, सूरतगढ़ SGNR	सुशीलकुमार
26.	श्री भवानी सिंह S/O श्री मोती सिंह	अध्यापन विशेष शिक्षा	म. नं. 157 वार्ड नं. 10 नया आदर्श कॉलोनी सूरतगढ़, SGNR	भवानी सिंह
27.	श्री ईदान सिंह S/O श्री बंशीलाल	अध्यापन	वार्ड नं. 4, रतासर सूरतगढ़, SGNR	ईदानसिंह
28.	श्री परमजीत वर्मा S/O श्री ओमप्रकाश	अध्यापन	वार्ड नं. 5, म.नं. 75 बाबा रामदेव मन्दिर रोड सूरतगढ़, SGNR	Paramjeet
29	श्री सतपाल कटारिया S/O कृष्णलाल कटारिया	अध्यापन	म.नं. 1/18, वार्ड नं. 7 पुराना हाउसिंग बोर्ड, सूरतगढ़ SGNR	S.Kataria
30.				
31.				
32.				

59/श्रीगंगानगर/2016-17
दिव्यांग रिहैबिलिटेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी सूरतगढ़
विधान पत्र
चार
2016

हम निम्न हस्ताक्षर कर्त्ता प्रमाणित करते है कि उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ता को हम जानते है व उन्होने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये है। हम यह भी घोषणा करते है कि हम संस्था के सदस्य नहीं है।

1. हस्ताक्षर गीतादेवी
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता
मोहर) (पार्षद) सूरतगढ़

2. हस्ताक्षर (डा. सुभाष महर्षि)
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता
मोहर) राजकीय सामुदायिक स्वा. केन्द्र सूरतगढ़

अध्यक्ष | मंत्री/सचिव | कोषाध्यक्ष

'दिव्यांग रिहैबिलिटेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी' सूरतगढ़ ~~राजस्थान~~ समित/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1. **संस्था का नाम :** इस संस्था का नाम 'दिव्यांग रिहैबिलिटेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी' सूरतगढ़ ~~राजस्थान~~ समिति/सोसाईटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय वार्ड नं. 6 नया, बाबा रामदेव मन्दिर रोड, सूरतगढ़ कार्यक्षेत्र राजस्थान है।

3. **संस्था के उद्देश्य :** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :–

1. शिक्षा और विशेष शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने हेतु विद्यालय, विशेष विद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास एवं महाविद्यालय की स्थापना करना।
2. विशेष बालक-बालिकाओं एवं दिव्यांग व्यक्तियों की उन्नति के लिए विभिन्न कल्याणकारी पाठ्यक्रम चलाने का आयोजन करना।
3. सामान्य एवं विशेष बालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
4. शिक्षा और विशेष शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर अन्य विधाओं में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना।
5. देश के सुकुमार बालक-बालिकाओं के शैक्षिक एवं नैतिक स्तर को उच्च करना।
6. कला, संगीत, फाइनआर्ट, कम्प्यूटर, शिल्प, पेंटिंग, नृत्य, योग, शारीरिक शिक्षा, स्पेशल ओलम्पिक खेल आदि का शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
7. विकलांगता के क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रमों, गोष्ठी, व्याख्यान, परिचर्चा, प्रदर्शनी रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा साक्षरता एवं सामाजिक गतिविधियों का प्रबंध करना।
8. अनाथ, निस्सहाय तथा विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग व्यक्तियों हेतु आश्रय स्थल, छात्रावास तथा पुनर्वास गृहों की स्थापना करना।
9. विभिन्न प्रकार के बाल-कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों का इंतजाम करना और संचालन करना।
10.
11.
12.
13.
14.
15.

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष | मंत्री/सचिव | कोषाध्यक्ष

4. **सदस्यता** : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति ही सदस्य बन सकेगें।

1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों
2. बालिग हो।
3. पागल, दिवालिये न हों।
4. संस्था के उद्देश्यो में रूचि व आस्था रखते हो।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।
6. —

5. **सदस्यों का वर्गीकरण** : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होगें। :-

1- संरक्षक 2- विशिष्ठ

3- सम्माननीय 4- साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. **सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा** : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

1-संरक्षक	राशि	1500/-	वार्षिक/आजन्म
2-विशिष्ठ	राशि	1500/-	वार्षिक/आजन्म
3-सम्माननीय	राशि	800/-	वार्षिक
4-साधारण	राशि	600/-	वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. — की मासिक दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. **सदस्यता से निष्कासन** : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

1- मृत्यु होने पर।
2- त्याग पत्र देने पर।
3- संस्था में उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
4- प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।
5- कार्यक्षेत्र छोड़ देने पर।

8. **साधारण सभा** : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेगें।

9. **साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य** : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :-

1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव कराना।
2- वार्षिक बजट पारित करना।
3-प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।
(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल जमा करायी जाकर प्रमाणित प्राप्त करने पर लागू होगा)

अध्यक्ष मंत्री/सचिव कोषाध्यक्ष

10. साधारण सभा की बैठकें :

1– साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2– साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3– बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्क बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4– कोरम के अभाव बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व ऐजेन्डा में थे।

5– संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त सदस्यों में से कोई भी सदस्य नोटिस जारीकर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैद्यानिक व सर्व मान्य होंगे।

11. कार्यकारिन का गठन् :

संस्था के कार्य को सुचारू रूप में चलाने के लिए एक कार्यकारिणी/प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगे :–

1. अध्यक्ष – एक 2. उपाध्यक्ष – एक
3. ~~मंत्री~~ सचिव – एक 4. कोषाध्यक्ष – एक
5. सदस्य 6. उपसचिव – एक

(उपरोक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावे, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में ......05...... पदाधिकारी व ......06...... सद्रस्य कुल ......11...... सदस्य होगें।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :

1– संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
2– चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
3– चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :–

1– सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
2– वार्षिक बजट तैयार करना।
3– संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4– वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, उन्हें सेवा मुक्त करना।
5– साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयो को क्रियान्वित करना।
6– कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
7– अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

अध्यक्ष मंत्री/सचिव कोषाध्यक्ष

14. **कार्यकारिणी बैठक :**

1– कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठके अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2– बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3– बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4– कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होगें जो पूर्व ऐजेन्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. **प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारों के अधिकार व कर्तव्य :**

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :–

1. **अध्यक्ष**
   - 1 – बैठकों की अध्यक्षता करना।
   - 2– मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
   - 3– बैठकें आहुत करना।
   - 4– संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
   - 5– संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
2. **उपाध्यक्ष**
   - 1– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों को प्रयोग करना।
   - 2– प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।
3. **मंत्री/सचिव**
   - 1– बैठकों को आहुत करना।
   - 2– मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
   - 3– आय–व्यय पर नियन्त्रण करना।
   - 4– वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
   - 5– संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
   - 6– पत्र व्यवहार करना।
   - 7– सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।
4. **उप मंत्री**
   - 1– मन्त्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
   - 2– अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री/सचिव द्वारा सौंपे जावें।

अध्यक्ष | मंत्री/सचिव | कोषाध्यक्ष

1. कोषाध्यक्ष
   1– वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना।
   2– दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
   3– चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
   4– अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :–

1– चन्दा | 2– शुल्क
3– अनुदान | 4– सहायता
5– राजकीय अनुदान

1– उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जावेगी।

2– अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्तोक्षरों से बैंक लेन–देन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार : संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एम मुश्त स्वीकृत कर सकेंगें।

1– अध्यक्ष 5,00,000/- रू.
2– सचिव ~~मंत्री~~ 5,00,000/- रू.
3– कोषाध्यक्ष 4,00,000/- रू.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की प्रतिनियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।

19. संस्था के विधान का परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा। जो रजिस्ट्रार कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की दिनांक से प्रभावी होगा।

20. संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्थान की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी, लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्थाएं श्रीगंगानगर को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) 'दिव्यांग रिहैबिलिटेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी' सूरतगढ़ ~~राजस्थान~~ **समिति/सोसायट/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।**

संस्था का पंजीयन क्रमांक 59/श्रीगंगानगर/2016-17
संस्था का नाम दिव्यांग रिहैबिलिटेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी सूरतगढ़
विवरण दस्तावेज विधान (नियमावली)
दस्तावेज की संख्या पांच
दिनांक 27-10-2016
हस्ताक्षर रजिस्ट्रार

अध्यक्ष | **मंत्री/सचिव** | **कोषाध्यक्ष**